

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

शुद्धी/रीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या.....01.....

वर्ष 20.24....

विविधवाद/ प्रथम अपील



अपीलकर्ता श्री मुस्कान जैप
ग्राम- अमकुली, पो. + पं. - ओलमुण्डा
बाना- सिसई, जिला- गुमला

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा. गुमला

वाद प्रारम्भ की तिथि
दि० - 09/01/2024

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की ति	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p style="text-align: center;">वाद सं0-01/2024</p> <p>परिवादी श्री मुस्कान गोप, ग्राम-आमकुली, पो0+पं0-ओलमुण्डा, थाना-सिसई, जिला-गुमला का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक-20.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।</p> <p>परिवादी का आरोप है कि उनके द्वारा राशन नहीं मिलने संबंधी पूर्व में की गई शिकायत की निस्पक्ष जांच नहीं हुई है एवं मामले को दबाया जा रहा है।</p> <p>उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक-04.11.2023 को व्हाटसएप्प के माध्यम से शिकायत सं0-WA/889/2023 दर्ज कराई गई थी। परिवादी द्वारा शिकायत किया गया था कि डीलर द्वारा लाभुकों को कम अनाज दिया जाता है। यह भी कि माह अगस्त, 2023 में सभी कार्डधारकों से अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया गया। अंगूठा लगाने से मना करने पर डीलर द्वारा कार्ड रद्द करने की धमकी दी गई।</p> <p>प्रस्तुत मामले के संबंध में कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक-1063 दिनांक-02.12.2023 द्वारा उक्त से संबंधित जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया जिसे शिकायतकर्ता को सूचनार्थ भेज दी गई थी। उक्त के क्रम में शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक-01.01.2024 के माध्यम से सूचित किया गया कि उक्त मामले की निस्पक्ष जांच नहीं हुई है। यह भी कि उनके पास इससे संबंधित साक्ष्य भी है।</p> <p>प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: center;">दिनांक-30.01.2024 को अपराहन 12:00 बजे रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>(शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> </div>	